परिपत्र सं. 30/2017-सीमाशुल्क

फा.सं. 450/15/2017-सीमाशुल्क IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

****

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई,2017

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक)
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
सभी महानिदेशक,
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क/सीमाशुल्क (निवारक)
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क

महोदय/महोदया,

विषयः नमूनों के पुनः परीक्षण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देशों के संबंध में-

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) ने व्यापार सुविधा समझौता किया है, जिसका उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये समझौता 22 फरवरी,2017 से प्रभावी हुआ है। भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

2) भारत ने श्रेणी 'क' में टीएफए के तहत किए गए समझौते में कई व्यापार संबंधी उपाय किए हैं। अनुच्छेद 5.3.1 में परिकल्पना की गई है कि आयात के लिए घोषित माल के पहुंचने पर उसमें से लिए गए नमूने के पहले परीक्षण के परिणाम के प्रतिकूल निष्कर्ष दिखाने की स्थिति में दूसरे परीक्षण का अवसर प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 5.3.3 में माल को जारी तथा उसकी निकासी के लिए दूसरे परीक्षण के परिणाम पर विचार करने को अनिवार्य किया गया है, यदि कोई हो, तथा ऐसे परीक्षण के यथोचित परिणाम आने पर उसे माना जाए। उपरोक्त अनुच्छेदों को श्रेणी 'क' में रखा गया है। नमूनों के पुनः परीक्षण के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को निर्धारित किया गया हैः-

क) सीमाशुल्क अधिकारी खेप के परीक्षण के लिए जहाँ आवश्यक हो, आयात की खेप में से नमूने ले सकते हैं। सभी परीक्षण की रिपोर्टो के परिणाम चाहे वे प्रतिकूल हों या अन्यथा, इनके प्राप्त होते ही आयातक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि/सीमाशुल्क ब्रोकर को तत्काल भेज दिए जाएंगे।

ख) यदि आयातक या उसका एजेंट अपर/संयुक्त निदेशक, सीमाशुल्क से पुनः परीक्षण का अनुरोध करता है, तो पहले परीक्षण के परीक्षण परिणामों के प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों के भीतर उक्त अधिकारी को ये अनुरोध लिखित में भेजें जाएं। यदि आयातक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमाशुल्क ब्रोकर अपने नियंत्रण से परे कारणों के कारण ऐसा नहीं कर पाता है तो सीमाशुल्क अधिकारी युक्तियुक्त निर्णय ले सकता है।

ग) जहाँ अपर/संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क दूसरे परीक्षण का अवसर देते हैं, तो उन्हें उस लेबोरेटरी/संस्थान का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखित में देना चाहिए, जहाँ यह दूसरा परीक्षण करवाया जाना है। पुनः परीक्षण के लिए ऐसे संस्थान का नाम केवल यथोचित सुनिश्चित करने के बाद ही दिया जाए कि वांछित पुनः परीक्षण की सुविधाएं उस लेबोरेटरी/संस्थान में हैं।

घ) पुनः परीक्षण केवल सीमाशुल्क की कस्टडी में मूल रूप से परिक्षण किए गए या नमूने के तौर पर सीलबंद प्रतिरूप (डुप्लीकेट) नमूनों के अवशेषों से ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विलंब से बचने के लिए दूसरे परीक्षण के लिए लेबोरेटरी भेजे जाने से पहले नमूनों पर "तत्काल" लिख दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो नए नमूने लिए जाएंगे, तब ये नमूना आयातक या उसके प्रतिनिधि/सीमाशुल्क ब्रोकर की उपस्थिति में ही लिया जाएगा।

ङ) नमूनों के पुनः परीक्षण का इस आधार पर अनुरोध कि मूल नमूना, नमूना सूचक नहीं था, पर तभी विचार किया जाए यदि खेप सीमाशुल्क के नियंत्रण में हो। नमूना लेते समय, आयातक या उसके प्रतिनिधि को वहां उपस्थित होना होगा तथा यह प्रमाणित करना होगा कि लिए गए नमूने, नमूना सूचक हैं।

च) सक्षम प्राधिकारी पहले परीक्षण के परिणामों के पूर्वाग्रह के बिना पुनः परीक्षण के परिणामों पर विचार करेंगे। यदि पहले परीक्षण तथा पुनः परीक्षण के परिणामों में कोई अंतर होता है तो सक्षम प्राधिकारी कराए गए परीक्षणों पर विश्वास करते हुए लिए गए निर्णय के आधार को लिखित में विनिर्दिष्ट करते हुए निर्णय लेंगे। यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि पहले परीक्षण पर विश्वास करें या दूसरे परीक्षण के परिणामों पर, तो वे दूसरे पुनः परीक्षण के लिए आदेश दे सकते हैं बशर्ते कि खेप अभी भी सीमाशुल्क के नियंत्रण में हो। हालांकि, पहले परीक्षण के बीच अंतर के हर मामले में इस विकल्प का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

छ) पुनः परीक्षण की सुविधा व्यापार को सुविधाजनक बनाने संबंधी उपाय है, जिसे सामान्यतः सामान्य मामलों में मना नहीं करना चाहिए। हालांकि, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जहां सीमाशुल्क अधिकारी पुनः परीक्षण की सुविधा हेतु मना करने के लिए विवश होता है। बोर्ड यह उम्मीद करता है कि इस प्रकार इंकार किया जाना कभी- कभार हो सकता हैं तथा इसके तार्किक आधार हो सकते हैं जिनहे लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा ।

ज) जहाँ पुनः परीक्षण की प्रक्रिया को आयातक की बजाय विभाग की ओर से किया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया का यथोचित परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जाए।

3) इस परिपत्र के कार्यान्वयन में यदि कोई परेशानी हो तो इसे बोर्ड के नोटिस में लाया जाए।

भवदीय

(जुबेर रियाज)
निदेशक (सीमाशुल्क)